

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए/सवि./33/2009/494

भोपाल, दिनांक 19-08-09

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती प्रज्ञा भार्गव अध्यापक शा.मा.शा. चांदनभेट जिला गुना	AK5392	230709015 02	जिला पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र. 2649 दि. 23.07.09	नगर पालिका निगम देवास जिला देवास जा.क्र. 2190 दि. 02.03.09 शा.मा.शा. बावडीया	23230134 329
2	श्रीमती विमला पाण्डेय सहायक अध्यापक शा.न.पू.मा.शा. कुशहा जिला रीवा	AX2019	231405716 01	जनपद पंचायत नईगढ़ी जिला रीवा जा.क्र. 503 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 3686 दि. 30.07.09 शा.मा.शा.बा. श्यामपुर	23330514 410
3	श्रीमती ममता पटेल अध्यापक शा.पू.मा.शा. रमडिहा जिला सिंगरौली	BB7298	235001146 02	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 4495 दि. 17.06.09	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र. 1779 दि. 17.07.09 शा. हाईस्कूल लक्ष्मणपुर	23140166 613
4	श्रीमती आरती कनेरिया अध्यापक शा.हाईस्कूल कुरथरा जिला दतिया	AI5611	230501666 12	जिला पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र. 2801 दि. 04.08.09	जिला पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. 4315 दि. 15.07.09 शा.हाईस्कूल वन विकासखंड ग्यारसपुर	23310266 606
5	श्रीमती मंजू सिसोदिया वरिष्ठ अध्यापक (राजनीति शास्त्र) शा.उ.मा.वि. गुदुवा जिला सतना	AV6391	340200301 6	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 234 दि. 30.06.09	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 325 दि. 06.07.09 शा.उ.मा.वि सनोधा	23111071 714
6	श्रीमती अंजना वर्मा अध्यापक शा. हाईस्कूल तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर	AR8803	234002666 04	जिला पंचायत नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 4403 दि. 04.08.09	नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 88 अ दि. 01.08.09 शा.न.मा.शा.ठक्करग्राम जबलपुर	23390221 417
7	श्रीमती रीता भदौरिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. आकोन जिला भिण्ड	BG8530	230306073 01	जनपद पंचायत अंटेर जिला भिंड जा.क्र. 747 दि. 27.06.09	जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी जा.क्र. 328 दि. 29.07.09 शा.प्रा.शा. मचाकला (पोहरी)	23060604 501

mo

8	श्रीमती सुधा गोस्वामी अध्यापक शा.मा.शा. तिलोहा, राजनगर जिला छतरपुर	AG3428	230908112 01	जिला पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर जा.क्र. 2314 दि. 12.06.09	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. 3371 दि. 27.07.09 शा.हाईस्कूल सराकिया	
9	श्री मोहम्मद मूसा अध्यापक (विकलांग) शा.मा.शा. शाहपुर जिला विदिशा	BE9900	233106218 02	जनपद पंचायत सिरोंज जिला विदिशा जा.क्र. 1244 दि. 15.07.09	जनपद पंचायत निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 928 दि. 29.06.09 शा.मा.शा. गिदखिनी शा.मा.शा.पेहा	23080301 101
10	श्रीमती मंजूलता चढ़ार सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. खजरुट जिला पन्ना	BN6068	231004145 01	जनपद पंचायत पवई जिला पन्ना जा.क्र. 1657 दि. 07.07.09	जनपद पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 288 दि. 09.07.09 शा.प्रा.शा. लहर बुजुर्ग शा.प्रा.शा.बा. बूदौर शा.प्रा.शा. नयागांव	23080411 701

### संविलियन की शर्तें --


1. यह अनुमति तालिका के कालम-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।



10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।


11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 19.08.09

पृ./क्र०/शि.क./ए/संवि./33/2009/495  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश